रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1765] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 8, 2014/भाद्र 17, 1936
No. 1765] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 8, 2014/BHADRA 17, 1936

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 सितंबर, 2014

का.आ. 2256(अ).—केन्द्रीय सरकार ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 62 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस तारीख से जिसको लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के उपबंध लागू होते हैं, अर्थात् 16 जनवरी, 2016 से एक सौ अस्सी दिन से अनधिक अवधि के भीतर, लोकसेवकों द्वारा संपत्ति विवरणियों की फाइलिंग को विनियमित करने के लिए और आस्तियों की घोषणा करने के प्रयोजन के लिए, जिससे कि उन्हें उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप लाया जा सके, सभी विद्यमान नियमों में उपांतरण और संशोधन करने के प्रयोजन के लिए 15 फरवरी, 2014 से, लोकपाल और लोकायुक्त (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) किया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने लोकसेवकों द्वारा विभिन्न प्राधिकारियों जैसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, विधि और न्याय विभाग (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) वित्तीय सेवा विभाग, लोक उद्यम विभाग और राज्य सरकारों के परामर्श से वार्षिक विवरणी फाइल करने और आस्तियों की घोषणा करने से संबंधित विषय वस्तु से व्यौहार करने वाले सभी विद्यमान नियमों के उपांतरण/संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ की है;

और उपरोक्त प्राधिकारियों से प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया था तथा उक्त अधिनियम के अधीन नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को पूरा करने में कुछ और समय लगना था और विद्यमान नियमों को उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुरूप करने की प्रक्रिया में उक्त आदेश में अधिसूचित अवधि के परे समय लग रहा था और इसलिए केन्द्रीय सरकार ने 14 जुलाई, 2014 को उक्त आदेश को संशोधित करके एक सौ अस्सी दिन की उक्त अवधि को दो सौ सत्तर दिनों तक विस्तारित कर दिया था;

और केन्द्रीय सरकार ने मंत्रालयों/विभागों जिसके अंतर्गत वित्तीय सेवा विभाग, लोक उद्यम विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय से परामर्श करने के पश्चात् लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की विवरणी देने तथा विवरणियाँ फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 और धारा 45 के साथ पठित धारा 59 की उपधारा (2) के खंड (ट) और खंड (ठ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमों को, 14 जुलाई, 2014 को, उनमें उन प्ररूपों को विहित करते हुए जिनमें प्रत्येक लोकसेवक द्वारा सूचना और वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत की जानी हैं, अधिसूचित किया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त नियमों को अंतर्विष्ट करने वाली अधिसूचना की प्रतियों को केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को यह अनुरोध करते हुए अग्रेषित किया था कि वे उक्त नियमों के निबंधनों के अनुसार अनुवर्ती कार्रवाई और संबंधित मंत्रालय, विभाग और संगठनों तथा उनके नियंत्रण के अधीन पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अधिकारियों और कर्मचारिवृंद द्वारा अनुपालना का सुनिश्चय करें;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त नियमों को अंतर्विष्ट करने वाली अधिसूचना की प्रतियों को सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य सचिवों को यह अनुरोध करते हुए अग्रेषित किया था कि वे उक्त नियमों के निबंधनों के अनुसार राज्य सरकारों के कार्यों के संबंध में अखिल भारतीय सेवाओं के सभी अधिकारियों और उनके नियंत्रणाधीन विभिन्न संगठनों और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में कार्य कर रहे अधिकारियों और कर्मचारिवृंद द्वारा उन सभी से उक्त नियमों की अनुपालना के सुनिश्चय की अपेक्षा करें;

और कुछ मंत्रालय/विभागों, संगठनों और व्यष्टिकों ने लोकसेवक द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक सूचना को लोक डोमेन में रखने पर तथा विहित प्रारूपों में ऐसे ब्यौरों को प्रस्तुत करने में और संबंधित मंत्रालयों/विभागों की वेबसाइट पर उनके प्रकाशन में अंतवर्लित जटिलताओं तथा ऐसे ब्यौरों को भरने के पश्चात् विशेषकर जंगम संपत्ति में लोकसेवकों की भेद्यता की प्रचंडता पर चिंताएं और आशंकाएं उठाई हैं जिससे लोकसेवक के पारिवारिक सदस्यों विशेषकर बालकों की सुरक्षा और संरक्षा पर आशंका व्यक्त की है;

और केन्द्रीय सरकार ने, पूर्वोक्त वास्तविक चिंताओं और आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए उन प्ररूपों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने के लिए जिनमें लोकसेवक उक्त अधिनियम के अधीन अपेक्षित आस्तियों और दायित्वों की घोषणा करेंगे जैसा कि अधिनियम के अधीन और उसके तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित है, 28 अगस्त, 2014 को एक समिति का गठन किया है और समिति से उक्त नियमों के अधीन विहित प्ररूपों की जांच करने और उनमें ऐसे परिवर्तनों का जो आवश्यक समझे जाएं, पैतालीस दिन की अवधि के भीतर सुझाव देने की अपेक्षा है ;

और उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विभिन्न कैडर प्राधिकारियों के अधीन विभिन्न सेवाओं और पदों से संबंधित विद्यमान नियमों के पुनरीक्षण का कार्य, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की प्रक्रिया को पूरा करने तथा उन प्ररूपों और प्रक्रियाओं के सरलीकरण के कार्य, जिनमें लोकसेवक आस्तियों और दायित्वों की घोषणाएं करेंगे, में उक्त आदेश में यथाविनिर्दिष्ट दो सौ सत्तर दिन की अवधि से परे समय लगने की संभावना है (जैसा कि 14 जुलाई, 2014 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया है) उक्त दो सौ सत्तर दिन की अवधि को तीन सौ साठ दिन की अवधि तक विस्तारित करना आवश्यक हो गया है और केन्द्रीय सरकार ने तदनुसार इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए और प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं का अनुसरण करने के पश्चात् सुसंगत नियमों का संशोधन करने के लिए समयावधि को विस्तारित करने का विनिश्चय किया है ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) की धारा 62 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोकपाल और लोकायुक्त (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2014 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के पैरा 2 के उप-पैरा (1) में , "दो सौ सत्तर दिन से अनधिक अवधि के भीतर", शब्दों के स्थान पर , "तीन सौ साठ दिन से अनधिक अवधि के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 407/12/2014-एवीडी-IV(ख)भाग-I]

भास्कर खुलबे, अपर सचिव

टिप्पण : लोकपाल और लोकायुक्त (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2014 भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं.का.आ. 409 (अ), तारीख 15 फरवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना सं.का.आ. 1840 (अ) तारीख 15 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित आदेश तारीख 14 जुलाई, 2014 द्वारा संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

ORDER

New Delhi, the 8th September, 2014

S.O. 2256(E).— Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 62 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014) (hereinafter referred to as the said Act), made the Lokpal and Lokayuktas (Removal of Difficulties) Order, 2014 (hereinafter referred to as the said Order) with effect from the 15th February, 2014 for the purpose of carrying out modifications and amendments in all existing rules regulating the filing of property returns and making of declaration of assets by public servants so as to bring them in conformity with the provisions of the said Act, within a period not exceeding one hundred and eighty days from the date on which the provisions of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 came into force, i.e., 16th January, 2014;

And whereas the Central Government initiated the process of modification/amendment of all existing rules dealing with the subject matter of filing of annual returns and making of declaration of assets by public servants in consultation with various authorities, such as, the Comptroller and Auditor General of India, the Election Commission, the Lok Sabha Secretariat, the Rajya Sabha Secretariat, the Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs and Legislative Department), the Department of Financial Services, the Department of Public Enterprises and the State Governments;

And whereas the comments/suggestions received from above said authorities had been under consideration of the Central Government and the completion of the procedure of finalising the rules under the said Act was likely to take some more time and the process of harmonisation of the existing rules with the provisions of the said Act and the rules made thereunder was taking time beyond the period notified under the said Order, and, therefore, the Central Government amended the said Order on 14th July, 2014, extending the said period of one hundred and eighty days to a period of two hundred and seventy days;

And whereas the Central Government has, after consulting the Ministries/Departments, including the Department of Financial Services, the Department of Public Enterprises, the Ministry of Law and Justice and the office of the Comptroller and Auditor General of India, made the Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of Assets and Liabilities and the Limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules), in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (k) and clause (l) of sub-section (2) of section 59 read with section 44 and section 45 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013, and notified the said rules on 14th July, 2014, prescribing therein the forms in which information and annual returns are to be filed by every public servant;

And whereas the Central Government has forwarded the copies of the notification containing the said rules to all Ministries and Departments of the Central Government requesting them to take the follow-up action in terms of the said rules, and for ensuring compliance with the said rules by all officers and staff in the respective Ministry, Department and organisations and public sector undertakings under their control;

And whereas the Central Government has also forwarded the copies of the notification containing the said rules to the Chief Secretaries of all State Governments and Union territories, requesting them to take the follow-up action in terms of the said rules requiring all officers of the All India Services working in connection with the affairs of the State Governments and the officers and staff working in various organisations and public sector undertakings under their control so as to ensure due compliance with the said rules by all of them;

And whereas, concerns and apprehensions have been raised by some Ministries/Departments, Organisations and individuals about the posting of every information provided by the public servant on public domain and the complexities involved in posting such details in the prescribed formats and also about exacerbation of vulnerabilities of the public servants after filing such details, specifically of movable property and their publication on the websites of respective Ministries/Departments giving rise to the apprehension of the safety and security of the members particularly children of the public servant;

And whereas, keeping in view the genuine concerns and apprehensions aforesaid, the Central Government has constituted a Committee on 28th August, 2014 to simplify the forms and the process in which public servants shall make declaration of assets and liabilities as required under the said Act and the rules made thereunder and the Committee is required to examine the forms prescribed under the said rules and suggest changes therein as may be considered necessary within a period of forty-five days;

And whereas, the exercise of reviewing the existing rules relating to various services and posts under various cadre authorities with the provisions of the said Act and the rules made thereunder, the process of completion of follow-up action by various Ministries and Departments of the Central Government and the State Governments and the exercise of simplification of the forms and the process in which public servants shall make declarations of assets and liabilities, are likely to take time beyond the period of two hundred and seventy days as specified in the said Order (as amended by the Order, dated 14th July, 2014), it has become necessary to extend the said period of two hundred and seventy days to a period of three hundred and sixty days, and the Central Government has accordingly decided to extend the period to complete this process and to notify the amendments in the relevant rules after following the procedural requirements;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 62 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Lokpal and Lokayuktas (Removal of Difficulties) Order, 2014, namely:–

In the said Order, in paragraph 2, in sub-paragraph (1), for the words "within a period not exceeding two hundred and seventy days", the words "within a period not exceeding three hundred and sixty days" shall be substituted.

[No.407/12/2014-AVD-IV(B) Pt.-I]

BHASKAR KHULBE, Addl. Secy.

Note.—The Lokpal and Lokayuktas (Removal of Difficulties) Order, 2014 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number S.O. 409(E), dated 15th February, 2014 and was amended by Order dated 14th July, 2014 published vide notification number S.O. 1840(E), dated 15th July, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.